ग्राम पंचायत भुलाणा, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.13 से 31.03.16

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भुलाणा, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति निशा देवी	01.04.13 से 31.03.16

सचिव:-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति नीता देवी	01.04.13 से 31.03.16

(ख) <u>गम्भीर अनियमितताओं का सार</u>:-

ग्राम पंचायत भुलाणा के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.2	रोकड़ वही व बैंक खाते में अन्तर बारे	0.01
2	4.3	रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना	-
3	4.4	नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे खाते न लगाना	-
4	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.48
5	6	अनुदान का उपयोग न करना	5.43
6	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का क्रय करना	5.96

7	9	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	7.73
8	10	53 बैग सीमेंट का सम्भावित दुरुपयोग	-

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत भुलाणा, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्द्र कुमार, आर्टिक्ल सहायक द्वारा दिनांक 21.03.17 से 24.03.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013-14	11/2013	09/2013
2014-15	01/2015	08/2014
2015-16	04/2015	05/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 **अंकेक्षण शुल्क:-**

ग्राम पंचायत भुलाणा, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 320 दिनांक 24.03.17 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 813314 (KCCB) दिनांक 29.03.17 द्वारा यह राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दी गई।

4 **वितीय स्थिति:-**

ग्राम पंचायत भुलाणा, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्वः स्त्रोत:- ग्राम पंचायत भुलाणा, के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	67876	6000	73876	5318	68558
2014-15	68558	10155	78713	10943	67770
2015-16	67770	5495	73265	5437	67828

(2) **अनुदान :-** ग्राम पंचायत भुलाणा, के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	479815	2185954	2665769	2397129	268640
2014-15	268640	2248982	2517622	1931341	586281
2015-16	586281	1295224	1881505	1338143	543362

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

स्वः स्त्रोत:-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹67828

अनुदान :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹543362

योग (1+2) ₹611190

दिनांक 31.03.16 को बैंक खातों में शेष :₹610102

अन्तर की राशि : ₹1088

बैंक खाता संख्या	राशि
MNREGA, HGB– 41773	270299
General, Own Source, KCCB – 7897	285767
IAY KCCB – 93925	256
SDP –KCCB- 93952	3087
MPLAD KCCB – 93943	45037
VKVNY KCCB – 93989	5656
कुल राशि	**610102**

4.2 रोकड़ वही व बैंक खाते में ₹1088 के अन्तर बारे :-

जांच में पाया कि पंचायत में General Grant, Own Source Income, VKNY, MP, SDP, एवं 13th FC में प्राप्त आय व अनुदान को उक्त विभिन्न बैंक खातों में जमा करवाया गया था लेकिन समय -2 पर नियमानुसार रोकड़ वही का मिलान बैंक शेष से नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.16 को ₹1088 का अन्तर पाया गया जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 319 दिनांक 23.03.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई । अतः उक्त अन्तर की राशि ₹1088 बारे स्थिति स्पष्ट करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

4.3 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत भुलाणा की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.4 नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे खाते तैयार न करना:-

पंचायत के लेखों की जांच में पाया कि पंचायत में लेखों का रख-रखाव हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (2) के अनुसार खाता-क एवं खाता-ख के अनुरूप में नहीं रखा गया था। अतः नियमों के अनुसार लेखों का रख-रखाव न रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार लेखे खाते तैयार कर नियम 3 व नियम 4 में वर्णित शीर्षों के अनुसार पंचायत में स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय को खाता-क व अनुदानों को खाता-ख में जमा करना सुनिश्चित करें ।

5 पंचायत राजस्व ₹0.48 लाख वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर की मांग अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक नहीं की गई थी जो कि एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है क्योंकि गृहकर पंचायत की आय का मुख्य स्त्रोत है एवं इससे पंचायत को ब्याज के रूप में भी हानि हुई तथा पंचायत के विकास कार्य भी अवरुद्ध रहे। अतः गृहकर की मांग व वसूली नियमानुसार प्रतिवर्ष न करने एवं गृहकर का रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में प्रतिवर्ष गृहकर की मांग व वसूली करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.16 तक पंचायत के राजस्व ₹48238 की वसूली शेष थी।

1 गृहकर:

वर्ष	अथशेष	मांग की जानी अपेक्षित	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	9158	12400	21558	2300	19258
2014-15	19258	12400	31658	0	31658
2015-16	31658	12400	44058	0	44058

2 मोबाइल टावर:

वर्ष	अथशेष	मांग की जानी अपेक्षित	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	0	3700	3700	3700	0
2014-15	0	3700	3700	3700	0
2015-16	0	3700	3700	0	3700

3 भू- राजस्व की वसूली न करना :-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2013-14 से 2015-16 में भू-राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे। अतः नियमानुसार भू-राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें।

4 पंचायत ने वर्ष 2013-14 से पूर्व पंचायत घर के पास 3 दुकानें बनवाई थी लेकिन जांच में पाया कि यह दुकानें अंकेक्षण अवधि में किसी को भी आबंटित नहीं की गई थी जिस कारण से पंचायत को इन दुकानों से किराए के रूप में होने वाली आय से वंचित होना पड़ा एवं इन दुकानों के निर्माण के उदेश्य की भी पूर्ति नहीं हो सकी। अतः इन दुकानों को आबंटित न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं नियमों के अनुसार आबंटित करना सुनिश्चित करें ।

5 जांच में पाया कि गृह कर के रूप में एकत्रित राशि में से ₹480 कम जमा करवाए गए जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

माह	रसीद संख्या	वसूल की गई राशि	जमा करवाई राशि व दिनांक	कम जमा राशि
05/13	377501 से 377600	2460	2300	160
08/14	21626 से 21627	60	5220	320
08/14	21708 से 21800	2720		
08/14	21801 से 21900	2760		
			कम जमा राशि	**480**

अतः उक्त कम जमा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

6 **अनुदान ₹5.43 लाख का उपयोग न करना:-**

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹543362 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 **निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/- व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-2** में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार वही खाते भी तैयार नहीं किए गए थे जिससे वर्णित कार्यों पर खर्च की गई राशि का पता नहीं चल सका । अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

8 **औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹5.96 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹596094 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये

इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 **₹7.73 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-4** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹773079 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना व उपयोग लेखा तैयार करना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

10 **(1) 53 बैग सीमेंट का सम्भावित दुरुपयोग :-**

भण्डार रजिस्टर की जांच में पाया कि निम्न प्रकरणों में 53 बैग सीमेंट का दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

(i) भण्डार रजिस्टर की जांच में पाया कि भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-9 दिनांक 05.07.13 में 3 बैग सीमेंट के दर्ज थे जिन्हे आगे अग्रेनित नहीं किया गया था एवं इसी प्रकार पृष्ठ संख्या-10 दिनांक 11.11.13 में 34 बैग सीमेंट के दर्ज थे जिन्हे भी आगे अग्रेनित नहीं किया गया था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त वर्णित 37 सीमेंट बैग का दुरुपयोग किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें ।

(iii) माप पुस्तिका 5187 के पृष्ठ 48 पर निर्माण कार्य "निर्माण महिला मण्डल भवन- 13th FC" की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच में पाया कि उक्त कार्य में कुल 40 बैग सीमेंट का उपभोग किया गया था लेकिन भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 10 दिनांक 11.11.2013 को उक्त कार्य के लिए 45 बैग सीमेंट के जारी किए गए थे । अर्थात उक्त कार्य के लिए 5 बैग सीमेंट अधिक जारी किए गए थे, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें ।

(iii) माप पुस्तिका 5187 के पृष्ठ 33 पर निर्माण कार्य निर्माण पक्का रास्ता ब्रतु के घर से जल्हा राम के घर तक" की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच में पाया कि उक्त कार्य में कुल 33 बैग सीमेंट का उपभोग किया गया था लेकिन भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 14 दिनांक 26.05.2015 को उक्त कार्य के लिए 44 बैग सीमेंट के जारी किए गए थे। अर्थात उक्त कार्य के लिए 11 बैग सीमेंट अधिक जारी किए

गए थे, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें ।

(2) सीमेंट बैग की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में न करने से संभावित दुरुपयोगः-

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में नियमों के अनुसार सीमेंट बैग के क्रय की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में नहीं की गई थी एवं न ही यह दर्शाया गया था कि क्रय किए गए सीमेंट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया गया था, जिससे सीमेंट के दुरुपयोग की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है । अतः नियमों के अनुसार सीमेंट के क्रय के इन्द्राज एवं निर्गमन की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये यह भी स्पष्ट करें कि निम्नलिखित क्रय की गई सीमेंट बैग की मात्रा का प्रयोग किस कार्य में कितना किया गया था :

क्र.	वाउचर संख्या	क्रय सीमेंट का विवरण	सीमेंट की मात्रा
1	79/01 Dated 10.11.14	Bill No. 92369 Dated 27.11.14 HP State Civil Supply Corp. ₹50200	200 Bags
2	21 Dated 26.05.15	Bill No. 0181560 Dated 08.06.15 HP State Civil Supply Corp. ₹50200	200 Bags
3	85 Dated 06.10.15	Bill No. 0181543 Dated 26.10.15 HP State Civil Supply Corp. ₹26500	100 Bags
4	-	Bill No. 0181820 Dated 12.09.15 HP State Civil Supply Corp. ₹50085	189 Bags

11 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. खाता वहियाँ तैयार न करना ।
2. अनुदान रजिस्टर
3. भण्डार रजिस्टर
4. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।

5. गृहकर का रजिस्टर तैयार न करना ।

6. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना ।

7. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।

12 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

13 लघु आपति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

14 निष्कर्ष:-लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)104/2017–खण्ड–1–5188–5191 दिनाँक 22.08.2017 शिमला–09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत भुलाणा, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881